बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–02/विविध-98/2018, परि0 258 **पटना, दिनांक–** 7/1/19

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– **अशक्त व्यक्तियों के वाहन के निबंधन के लिए मोटरवाहन कर से विमुक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक–3233, दिनांक–14.05.2018 का संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसके द्वारा अशक्त व्यक्तियों के वाहन के निबंधन के लिए मोटरवाहन कर से विमुक्ति हेतु निदेश दिये गये थे।

विभिन्न समीक्षा बैठको एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों से विडियों कान्फ्रेंसिंग में स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है कि अशक्त व्यक्यिों का वाहन किसे माना जाय।

उपर्युक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा–2 (18) के अनुसार अशक्त यात्री गाड़ी से अभिप्रेत है "ऐसा मोटरयान जो किसी शारीरिक खराबी या नि:शक्तता से पीड़ित किसी व्यक्ति के उपयोग के लिए विशेष रुप से रुपांकित तथा निर्मित किया गया है, न कि केवल अनुकूल बना दिया गया है और जिसका उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके लिए ही किया जाता है"।

उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

विश्वासभाजन

Sd/- 4/1/19
(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।